2023/21

श्रीमान्‌जी,

प्रार्थीया सुश्री मीरा मन्दाकिनी पुत्री स्व0 श्री निरंजन दास आयु 43 वर्ष जाति अरोड़ा निवासी मकान नं0 39 एफ ब्लॉक तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी.प्रुफ पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 30.12.2022 को एक बन्द वसीयत सिल्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखवाया गया था, जिसे प्रार्थीया बिना खोले वापिस लेना चाहती है।

प्रार्थीया को गवाह श्री रघुवेंद्र रमन अरोड़ा एवं श्री विजय कुमार ने पहचाना है। प्रार्थीया एवं गवाहों की शिनाख्त श्री मुकेश कुमार हरलालानी अधिवक्ता, श्रीगंगानगर ने की है।

इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 44 के अन्तर्गत बंद वसीयत प्रार्थी को वापिस दिये जाने का प्रावधान है।

अतः पूर्व में बंद लिफाफा नियमानुसार फीस जमा करवाकर प्रार्थी को वापिस दिया जाना प्रस्तावित है।

आदेशार्थ।

जिला पंजीयक महोदय